

10/01/24 सुलाय फरीकेन उप./पीअसीन अधिकारी
अवकाश पर पधारे है।
पेसल इल्लावा होकर दिनांक. 1.8/7.0/24
को पेश हो

02

18/10/24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय
में वकील वादी व वादी के नाम
अलग - 2 समय में तीन बार
आवाजें लगाईं। कौड हाजिर नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि वकील
वादी एवं वादी अपने वाद के
प्रति गंभीर नहीं हैं। लिहाजा वादी
का वाद "अदम पैरवी एवं अदम
हाजिरी" में खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नखिल दफ्तर हो व नम्बर से
कम हो।

18/10/2024

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाइपेर।

